

1. ✓ आहरण एवं वितरण अधिकारी
कानपुर नगर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, उन्नाव एवं नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, (पूर्व मनोरंजन कर)
कानपुर नगर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, उन्नाव एवं नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।

शासनादेश संख्या-576/11-6-2018-एम(61)/2017 दिनांक 04/09/2018 के द्वारा मनोरंजन कर विभाग को वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-90 के लेखाशीर्षक-"2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-101-संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर-04-छविगृहों के निर्माण की प्रोत्साहन योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये तीस करोड़ को कमिशनर, वाणिज्य कर के निर्वर्तन पर रखते हुये वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार आहरण की स्वीकृत प्रदान की गयी है। प्रश्नगत बजट का आवंटन शीघ्र किया जाना है, जिस क्रम में कमिशनर महोदया द्वारा दिनांक 28-09-2018(दिन शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे वाणिज्य कर मुख्यालय, गोमती नगर, लखनऊ में बैठक आहूत की गयी है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त बैठक में नियत तिथि व नियत समय पर उक्त प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों/बजट मांगपत्र सहित (पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-616 दिनांक 10.09.2018 के क्रम में) प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिशनर (लेखा), वाणिज्य, कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं० व दिनांक:उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर निदेशक(प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे संबंधित जनपदों के पूर्व मनोरंजन कर के अधिकारियों(आहरण वितरण अधिकारी) को बैठक में उपस्थित होने हेतु कार्यमुक्त करने के संबंध में।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिशनर (लेखा), वाणिज्य, कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।।